राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक टीपीआर 9214.05.2011 दिनांकः–

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– निविदा सूचना के प्रकाशन हेतु ।

महोदय,

उपरोकत विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग में विभिन्न कार्यो हेतु दरे अनुमोदित करने के लिए निविदा सूचना 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इन्हें दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय (जिनमें से एक का प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें । उक्त निविदा सूचना मय सीडी संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

क्रमांक टीपीआर 9214.05.2011 दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. मुख्यालय नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु ।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक/ उप नगर नियोजक क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ बीकानेर/ अलवर/ भरतपुर नगर नियोजन विभाग को उनके नोटिस बोर्ड पर निविदा सूचना की प्रति लगाने हेतु प्रेषित है।

उप नगर नियोजक (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः टीपीआर 9214.05.2011/ दिनांक

निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	:	25.01.2012 दोपहर 1:00
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	25.01.2012 दोपहर 3:00

निविदा प्रपत्र

1. **"फर्नीचर (एग्जिक्यूटिव चैयर्स, आफिसर टेबिल व विजिटर चेयर)"** की आपूर्ति किये जाने हेतु दर सविंदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता : ....

3. किसको सम्बोधित किया गया – मुख्य नगर नियोजक, राज., जयपुर।

4. सन्दर्भ : ....

5. निविदा शुल्क की राशि रू. : .... नकद रसीद संख्या .... एवं दिनांक .... द्वारा/रेखांकित पोस्टल आर्डर संख्या .... एवं दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गयी है।

6. हम ***मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर*** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) तथा निविदा दो लिफाफों में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग प्रस्तुत की जा रही है।

7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें (उत्पाद शुल्क, कॉर्टेज, पैकिंग आदि को शामिल करते हुए) केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चुंगी कर (यदि कोई हो), इसमें से डिस्काउन्ट/छूट (रिबेट) को घटा कर शुद्ध मूल्य निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है जो आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	दर (रूपये)	मात्रा/इकाई	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

नोट :–

(i) विवरण अधिक होने पर दरें पृथक से संलग्न की जा सकती हैं।

(ii) एक से अधिक कार्य के लिए निविदा भरने के मामले में अलग–अलग कार्य हेतु अलग अलग लिफाफों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(iii) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से ''तकनीकी निविदा'' या ''वित्तीय निविदा'' अंकित होना चाहिए। तकनीकी मानदण्डों में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से ***30 दिन*** की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी करनी होगी। ***माल की सुपुर्दगी एक मुश्त एफ.ओ.आर. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में होगी।***

9. उपर उद्धृत की गयी दरें ***3 माह*** तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

10. बयाना राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... जो (बैंक का नाम ....) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या .... /चालान संख्या .... दिनांक ....रूपये .... संलग्न है।

11. इसके साथ बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत हैं।

12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न है।

13. तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित एवं संविदा की शर्तो में वर्णितानुसार चाहे गये समस्त दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में तकनीकी निविदा रद्ध कर दी जावेगी :–

   i- फर्म का बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक मय सत्यापित प्रति तथा नवीनतम बिक्रीकर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति।

   ii- बयाना राशि की रसीद, बैंक ड्राफ्ट, चालान आदि।

   iii- गत 3 वर्षों में राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों में फर्नीचर/स्कैनर आपूर्ति करने के अनुभव के साक्ष्य में आदेशों की प्रतियां/आपूर्ति का प्रमाण–पत्र।

   iv- वार्षिक टर्न ओवर (कम से कम 10 लाख हो) के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/ साक्ष्य।

14. वित्तीय निविदाओं में फर्नीचर के विभागीय स्पेशीफिकेशन्स के अनुसार दरें व बिक्रीकर/वेट आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. वित्तीय निविदा के लिफाफे में मात्र आपूर्ति करने की सामग्री की दरें (वित्तीय दरें) ही लिखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त समस्त दस्तावेज इत्यादि तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखे जाने चाहिये ।

16. यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में वित्तीय निविदा भी डाल दी जायेगी तो उस निविदादाता की दोनों निविदाऐं रद्ध कर दी जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

"फर्नीचर (एग्जिक्यूटिव चैयर्स, आफिसर टेबिल एवं विजिटर चेयर)'' हेतु

–: <u>निविदा की शर्तें</u> :–

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद दो अलग–अलग लिफाफे में बन्द करना चाहिए। (1) तकनीकी बिड (2) वित्तीय बिड लिफाफे पर साफ–साफ अंकित होना चाहिए। केवल तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड विभाग द्वारा खोली जावेगी।

2. **वास्तविक डीलरों (Bonafied dealers) द्वारा निविदाऐं** :– निविदाऐं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेंगी। अतः वे एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के सम्बंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार को रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण–पत्र** :– कोई भी डीलर यदि राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बंधित सर्किल को वाणिज्यिक कर अधिकारी से वेद्य बिक्री कर चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

5. **निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा।** पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. <u>दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी।</u> इसमें कोई त्रुटियां (म्ततवते) एवं/ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा किसी गाड़ी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए।

8. (प) **दरों की तुलना :–** राजस्थान की बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।

(पप) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बंध में दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

9. **मूल्य अधिमान :–** मूल्य अधिमानता/ अधिमान राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

10. **विधिमान्यता :–** निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

13. **विनिर्देश :–**

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बंध में कि प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

(iii) **वारण्टी एवं गारण्टी खण्ड :** निविदादाता यह गारण्टी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उस माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ***12 माह*** की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि ***12 माह*** की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस सम्बंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे, रद्ध करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्ध किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्ध करने से सम्बंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्ध कर दिया गया है, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षती के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

14. **निरीक्षण** :—

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्त्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. **नमूने** :— नगर नियोजन विभाग द्वारा मांगने पर निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर नमूने उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आपूर्ति किया गया माल प्रस्तुत नमूने के अनुसार ही होना चाहिए, तथा विभाग द्वारा लिये गये निर्णय को मानने के लिए निविदादाता बाध्य होगा।

16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

17. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट—फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नही किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट—फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकार प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षा गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

20. **रद्द करना** :—

(प) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(पप) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो

अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी

21. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचेने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्त्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

25. (i) **सुपुर्दगी अवधि :–** निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, ***नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर*** द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से ***30 दिन*** की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :–

(ii) **मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना :–** यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (त्मचमंज व्तकमते) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50ः तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. **बयाना राशि (अमानत राशि) :–**

(क) निविदा के साथ निविदा सूचना के क्रम संख्या प् के सम्बंध में **................** रू. तथा क्रम संख्या प्प के सम्बंध में **...................** रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि ***मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान*** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(प) नकद–शीर्ष ''8443–सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा करया जाना चाहिए।

(पप) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) **बयाना राशि का प्रतिदाय :–** असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूट :–** राजस्थान की लघु उधोग ईकाईयो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के सम्बंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदाऐं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के) प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ड़) अनुमोदान की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

27. **बयाना राशि का समपहृरण :–** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :

(प) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किंतु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(पप) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(पपप) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(पअ) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

28. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से ***7 दिन*** की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5ः के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, ***7 दिन*** के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य

स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(अ) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (प) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उधोग ईकाईयो को उन सामानों के सम्बंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटोस्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1ः की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।

(पप) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समर्पहरण :–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (ब्वनदजमत विपस) निःशुल्क दी जाएगी।

29. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता के बिल में से उस भाड़े के 5ः की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेंजर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

30. **बीमा :–**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्त्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

31. भुगतान :—

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के सम्बंध में, राशि का 10 से 25: तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के सम्बंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

32. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी** :— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिसका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :—

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2):

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 :

(ग) आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7) :

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 :

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 : होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

33. **वसूलियाँ** :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्त्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि

(dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

34. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

35. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

36. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को सामान की मदों में वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

37. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

38. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

39. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए गये माल का निरीक्षण विभागीय क्रय समिति/उद्योग विभाग के प्रतिनिधि/राजकीय लेबोरेट्री द्वारा किया जायेगा।

40. मांगने पर निविदादाता द्वारा सामग्री का नमूना 7 दिन में विभाग को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा इसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

41. निविदा सूचना के क्रम संख्या ᑊ (फर्नीचर) आपूर्ति के मामले में निविदादाता को गत 3 वर्षों में राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों में फर्नीचर आपूर्ति करने का अनुभव होना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

42. निविदादाता फर्म का निविदा सूचना के क्रम संख्या ᑊ (फर्नीचर) के मामले में 10.00 लाख रूपये वार्षिक एवं क्रम संख्या ᑊᑊ के मामले में 10.00 लाख रूपये का वार्षिक टर्नओवर होना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र / साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

43. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा ***जयपुर*** स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–टीपीआर 9214.05.2011 दिनांकः–

निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	: 25.01.2012 को दोपहर बाद 1.00
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	: 25.01.2012 को दोपहर बाद 3.00

निविदा प्रपत्र

1- कम्प्यूटर कार्टेज नई आपूर्ति की दर संविदा
2- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता..
....
....

3- किसको संबोधित किया गयाः– मुख्य नगर नियोजक,राजस्थान,जयपुर।
4- सन्दर्भ...
5- निविदा शुल्क की राशि रू. .... नकद रसीद संख्या .... एवं दिनांक .... द्वारा/ रेखाकिंत पोस्टले आर्डर संख्या .... के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6- हम............................द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या................................दिनांक..... ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न स्वीकार करते है(इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।)
7- निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें (उत्पाद शुल्क, कार्टेज, पैंकिंग आदि को शामिल करते हुये) केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूँगी कर यदि कोई हो। इसमें से डिस्काउन्ट/दूट (रिबेट) को झाटा कर शुद्ध मूल्य निम्न प्रकार होगी तथा प्रदान की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है, जो आवश्यकतानुसार घटाई/ बढाई जा सकती है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा	दर	विशेष विवरण
	कम्प्यूटर कार्टेज नई 1. 4 in one Canon 2. HP Laser jet P 1007 3. Canon Laser Shot LBP 3500 4. HP CLJ Professional CP 5225 DN	 35 नग 10 नग 03 नग 01 नग		

8- विभाग की आवश्यकतानुसार समय–समय पर चाहे अनुसार सामान की आपूर्ति है। फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 7 दिन की अवधि के भीतर ओदेशित मात्रा कार्यालय में सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

9- ऊपर उद्धृत की गयी दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। इस अवधि को परस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

10-बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक संख्या .... जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नगद रसीद संख्या ..../ चालान संख्या .... दिनांक .... रूपये ....के लिए बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

11-इसके साथ बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

12-विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया/नही किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

" कम्प्यूटर कार्टेज के लिए दर–संविदा " हेतु

–: निविदा की शर्तें :–

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाऐं** :– निविदाऐं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेंगी। अतः वे एस.आर. प्रारूप 3 में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के सदस्यों में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार को रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **बिक्री कर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण–पत्र** :– कोई भी डीलर यदि राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बंधित सर्किल को वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा तथा वेट शोधन प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा रद्ध कर दी जावेगी ।

6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा किसी गाड़ी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने को हैं तो इन दरों

में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहिप प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

8. (i) **दरों की तुलना :–** राजस्थान की बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।

   (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बंध में दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

9. **विधिमान्यता :–** निविदायें, उनके खोले जाने की दिनांक तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

10. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता (Supplier) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. **विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) :–**

   (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

   (ii) तारा चिन्ह (') से अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बंध में कि प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

   (iii) वारण्टी एवं गारण्टी खण्ड : निविदादाता यह गारण्टी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उस माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से कम से कम एक एक वर्ष की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक वर्ष की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस सम्बंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे, रद्ध करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्ध किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्ध करने से सम्बंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि

   को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्ध कर दिया गया है, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षती के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (तमचनकपंजम) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

13. (i) **सुपुर्दगी अवधि** :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी। वह आदेश प्रदाय करने की तारीख से 7 दिवस की अवधि के भीतर सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) **मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना** :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (त्मचमंज व्तकमते) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50ः तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

14. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)** :– (क) निविदा के साथ 3500/– (2ः) रू. की बकाया राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(i) नकद–शीर्ष ''8443–सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा करया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के सम्बंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, (विलोपित) निविदाऐं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के) प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

15. बयाना राशि का समर्पहरण :— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किंतु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(iii) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

16. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) :—**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5ः के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :—

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(अ) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान से अभिस्वीकृति (II) प्राप्त फर्मों को उन सामानों के सम्बंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा अभिस्वीकृति (II) की विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समर्पहरण :—** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :—

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

17. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता के बिल में से उस भाड़े के 5: की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (त्त्त) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

18. **बीमा :–**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्त्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

19. भुगतान :–

(i) सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के सम्बंध में, राशि का 10 से 25: तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के सम्बंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

20. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिसका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

21. (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2) :

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 :

(ग) आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7) :

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 :

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 : होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

22. **वसूलियाँ** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्त्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (कनमे) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

23. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

24. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को सामान की मदों में वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

25. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति एवं फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति।

(ii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर, यदि एकल स्वामित्व का पंजीयन है तो उसकी प्रति।

(iii) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

26. क्रय की जाने वाली सामग्री में से क्र. सं. 13, 14, 39, 60 व 61 में वर्णित सामग्री केवल लघु उद्योग इकाईयों (S.S.I. Units) से ही क्रय की जायेगी ।

27. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने

वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः टीपीआरः9214.12/2011/ दिनांक :–

निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित सामग्री क्रय करने मएवं केवल मात्र एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस पर कम्प्यूटर संचालन करने तथा चतुर्थ श्रेणी सम्बन्धी कार्य हेतु कार्मिक लगाने बाबत मोहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र. सं.	वस्तुओं/कार्य का नाम	मात्रा	अनुमानित राशि (लाखों में)	बयाना राशि (रूपये)	निविदा शुल्क
1.	एक्जीक्यूटीव चेयर	35 नग	3.70	7400	200
	आफिसर टेबिल	10 नग			
	विजीटर चेयर	75 नग			
2.	कम्प्यूटर कार्टेज नई		2.00	4000	200
	1- 4 in one Canon	35 नग			
	2- HP Laser jet P 1007	10 नग			
	3- Canon Laser Shot LBP 3500	03 नग			
	4- HP CLJ Professional CP 5225 DN	01 नग			
3.	एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस पर कम्प्यूटर संचालन हेतु चार कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी सम्बन्धी कार्य हेतु चार कार्मिक एक वर्ष के लिए उपलब्ध कराये जाने हैं।	–	4.30	8600	200

1. उपरोक्त वर्णित सामग्री/कार्य का स्पेसिफिकेशन/शर्ते आदि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
2. बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदाऐं विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेंगी जिन्हें आवेदन करके इस कार्यालय से निर्धारित निविदा शुल्क का नकद भुगतान करने पर या मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के नाम परा मनीऑर्डर भेजकर प्राप्त किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जायेगा। जो निविदाऐं विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन्हें नामंजूर किया जायेगा।
   निविदा के निबन्धन और शर्ते कार्यालय में उपलब्ध हैं जिन्हें प्रत्येक निविदादाता अपनी निविदा देने के पूर्व देख सकेगा/प्राप्त कर सकेगा।
4. निविदाऐं मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से "..............................**(जिस कार्य के लिए निविदा दी गई है उस कार्य का नाम) के लिए निविदा"** लिखा होगा दिनांक 25.01.2012 को दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। निविदा या तो उक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्भलवाई जाकर उसकी रसीद प्राप्त की जानी चाहिए या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जानी चाहिए। निविदाऐं उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी जो उपस्थित रहेंगे।
5. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।
6. जो भी निविदाऐं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होंगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
7. निविदादाताओं को बिक्रीकर पंजीयन संख्या एवं सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारी से "बिक्रीकर चुक्ती प्रमाण पत्र" आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. लघु औद्योगिक इकाईयों को निदेशक, उद्योग या उसके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र के आधार पर बयाना राशि के भुगतान करने से आंशिक छूट दी गई है और निविदा की अनुमानित राशि पर) प्रतिशत बयाना राशि देनी होगी।
9. निविदा सूचना, निविदा के निबन्धन और शर्तें तथा सामग्री के स्पेशीफिकेशन्स आदि का विवरण विभाग की वेबसाईट www.udhrajasthan.gov.in/ctp पर भी उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है।

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

<u>एजेन्सी के माध्यम से Job Basis पर कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिक लगाने बाबत् शर्तें</u>

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी (ठेकेदार) द्वारा विभाग को केवल Job Basis पर कार्य करने हेतु कम्प्यूटर कार्मिक उपलब्ध कराना होगा। कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इंक–कार्ट्रिज एवं अन्य उपकरण आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. कार्मिक से विभागीय भवन में स्थित किसी भी कम्प्यूटर पर जॉब कार्य करवाया जा सकता है।

3. विभाग में जॉब वर्क सम्पूर्ण कर्यालय समय के दौरान समय–समय पर निरन्तर दिया जा सकता है जिसे उसी दिन अथवा आवश्यकतानुसार अगले दिन पूर्ण करना होगा। अतः इसी कारण से सेवा प्रदाता एजेन्सी को कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्मिक की सेवा उपलब्ध करानी होगी।

4. कम्प्यूटर कार्मिक को निम्न प्रकार के जॉब करने होंगे :–

   a. MS Word पर हिन्दी व अंग्रेजी में पत्र, विवरण, सारणी, डाटा–एन्ट्री आदि की टाईपिंग एवं प्रिन्टिंग।

   b. MS Excel पर सारणी, सूचना, डाटा–एन्ट्री की टाईपिंग एवं प्रिन्टिंग।

   c. Internet पर Surfing, Downloding, E-maling आदि के माध्यम से सूचना का आदान–प्रदान।

5. किये गये जॉब वर्क का भुगतान प्रति पेज, प्रति शीट, डाटा–एन्ट्री समय अथवा वर्क आउटपुट आदि के आधार पर करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं हो सकता है, अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी को उपरोक्तानुसार किये गये कार्य (Job Basis) के आधार पर मासिक भुगतान किया जायेगा। अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा किये जाने वाले सम्भावित कार्यों (Job Works) का आंकलन करते हुए उपरोक्त जॉब्स हेतु अपनी मासिक दरें (प्रति व्यक्ति/प्रति मास) प्रस्तावित की जायेंगी। मासिक दरों के अलावा अन्य प्रकार से प्रस्तावित दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. वर्तमान में विभाग को कम्प्यूटर के संचालन हेतु **चार जॉब कार्मिक** (कम्प्यूटर कार्मिक) की आवश्यकता है, अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी को प्रारम्भ में **चार जॉब कार्मिक** उपलब्ध कराने होंगे। भविष्य में आवश्यकता होने पर इनकी संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

<u>एजेन्सी के माध्यम से **Job Basis** पर चतुर्थ श्रेणी सम्बंधी कार्यों को सम्पादित करने हेतु कार्मिक उपलब्ध कराने बाबत् शर्तें</u>

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा विभाग को केवल Job Basis पर चतुर्थ श्रेणी सम्बंधी कार्य करने हेतु कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।
2. कार्मिक को विभागीय भवन में स्थित किसी भी कार्यालय, कक्ष अथवा अधिकारी के पास लगाया जा सकता है।
3. विभाग में जॉब वर्क सम्पूर्ण कर्यालय समय के दौरान समय–समय पर निरन्तर दिया जा सकता है जिसे उसी दिन पूर्ण करना होगा। अतः इसी कारण से सेवा प्रदाता एजेन्सी को कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्मिक की सेवा उपलब्ध करानी होंगी।
4. कार्मिक को निम्न प्रकार के जॉब करने होंगे :–
   - **a.** कार्यालय में स्थापित टेबिल, कुर्सियां, बैंच, अलमारियां आदि की सफाई आदि करना।
   - **b.** अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु पानी भरना।
   - **c.** कार्यालय की पत्रावलियों, रिकॉर्ड आदि निर्देशानुसार लाना एवं ले जाना।
   - **d.** कार्यालय के फर्नीचर को व्यवस्थित करना एवं यथास्थान रखना।
   - **e.** सम्बन्धित प्रभारी द्वारा बताये गये चतुर्थ श्रेणी सम्बन्धी कार्य करना।
5. किये गये जॉब का भुगतान उपरोक्तानुसार किये जाने वाले कार्यों (Job Basis) अथवा वर्क आउटपुट आदि के आधार पर करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं हो सकता है, अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी को उपरोक्तानुसार किये गये कार्य (Job Basis) के आधार पर मासिक भुगतान किया जायेगा। अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा किये जाने वाले सम्भावित कार्यों (Job Works) का आंकलन करते हुए उपरोक्त जॉब्स हेतु अपनी मासिक दरें (प्रति व्यक्ति/प्रति मास) प्रस्तावित की जायेंगी। मासिक दरों के अलावा अन्य प्रकार से प्रस्तावित दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. वर्तमान में विभाग को **चार** व्यक्तियों की आवश्यकता है, अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी को प्रारम्भ में **चार कार्मिक** उपलब्ध कराने होंगे। भविष्य में आवश्यकता होने पर इनकी संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

सामान्य शर्तें

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा अपनी दरें मासिक आधार पर (समस्त करों सहित) देनी होंगी।
2. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू किसी भी नियम/कानून आदि के तहत् न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान तथा देय कर/शुल्क/पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का भुगतान, यदि देय हों तो, सेवा प्रदाता एजेन्सी को करना होगा। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी के कार्मिक को विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बताये गये/दिये गये समस्त जॉब संतोषप्रद रूप से सम्पादित करने होंगे। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में भुगतान के बारे में विभाग का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये जाने वाले कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है किन्तु विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों का ज्ञान आवश्यक रूप से कार्मिक को होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर जॉब वर्क हेतु लगाये गये कार्मिक की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का, किसी भी संस्था का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. जॉब वर्क हेतु लगाये गये कार्मिक को बदलने का अधिकार सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा किन्तु इसका पूर्व अनुमोदन विभाग से कराना होगा।
6. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व संतोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के हर्जे खर्चे पर अन्य एजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय विभाग को वहन करना पड़ा तो वह राशि सेवा प्रदाता एजेन्सी से वसूली योग्य होगी।
7. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में विभाग को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।
8. कार्य संतोषजनक नहीं होने एवं/ या अनुबंध की शर्तो के विरूद्ध कार्य करनें पर ''क्षतिपूर्ति राशि'' के रूप में उतनी राशि विभाग वसूल करेगा, जो विभाग निर्धारित करे।
9. लगाये जाने वाले कम्प्यूटर कार्मिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिये तथा वह स्वस्थ होना चाहिये।
10. समस्त जॉब्स राजकीय कार्य दिवस को किये जाने होंगे, सामान्यतया राजकीय अवकाश के दिन कोई जॉब नहीं करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्मिक यदि किसी अन्य स्थान पर कार्य करता है तो इस विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु विशेषावस्था में अवकाश के दिन आवश्यक जॉब हेतु बुलाने पर विभाग को प्राथमिकता देनी होगी, इस

अतिरिक्त कार्य के लिए मासिक जॉब दर के आधार पर अनुपातिक रूप से (माह के 22 कार्य दिवस के आधार पर) अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

11. सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्मिक यदि किसी दिन अनुपस्थित रहता है तो मासिक जॉब दर के आधार पर अनुपातिक रूप से (माह के 22 कार्य दिवस के आधार पर) कटौती देय राशि से की जायेगी एवं कार्मिक यदि माह में दो कार्य दिवस से अधिक दिन अनुपस्थित रहता है तो दो दिवस के बाद की अवधि के लिए प्रतिदिन 200/– रू. की दर से शास्ती (Penalty) देय राशि से काटी जायेगी।

12. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये कार्मिक के चरित्र एवं ईमानदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। यदि कार्मिक का कार्य सन्तोषप्रद नहीं होता है तो उसे बदलने की सूचना देने के 24 घन्टे में कार्मिक को बदलना होगा।

13. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक द्वारा उनकी लापरवाही से विभाग का कोई नुकसान हो जाता है तो उसका आंकलन विभाग द्वारा किया जावेगा, एवं उसकी वसूली सेवा प्रदाता एजेन्सी से की जावेगी।

14. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिक को साफ सुथरा रहना होगा तथा वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भवन परिसर में धूम्रपान नहीं करेगा। कार्यालय ड्यूटी पर किसी प्रकार का नशा आदि भी नहीं करेगा तथा ना ही करके आयेगा।

15. अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा किन्तु प्रथमतः छः माह के लिए कार्यादेश दिया जायेगा तथा सेवाऐं संतोषजनक होने की दशा में कार्योदेश को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। एक वर्ष के बाद आपसी सहमति से इसे और बढ़ाया जा सकेगा।

16. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कम्प्यूटर कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण (मय पासपोर्ट आकार का फोटो) विभाग के रिकोर्ड हेतु ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

17. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कम्प्यूटर कार्मिक के अच्छे चरित्र की प्रमाणिकता देते हुए उनके स्थान एवं वर्तमान निवास की जानकारी समय समय पर विभाग को देनी होगी।

18. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम आदि की पालना का पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा।

19. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित दर अनुमोदित होने के बाद एजेन्सी को वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि नकद अथवा डीडी अथवा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णितानुसार विभाग में जमा करानी होगी तथा 100/– रू. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर

अनुबंध करना होगा। जमा सुरक्षा राशि अनुबन्ध समाप्ती के बाद लौटाई जा सकेगी।

20. निविदा में वर्णित समस्त शर्तें भी सेवा प्रदाता एजेन्सी को स्वीकार करनी होंगी इस बाबत् निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सेवा प्रदाता एजेन्सी को हस्ताक्षर करने होंगे।

21. विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

22. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र ''जयपुर'' होगा।